ग्राम पंचायत देवरी खनेटी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत देवरी खनेटी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राकेश डोगरा	1.4.2013 से 22.01.2016
2	श्री मति अंबिका धरमेइक	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मदन डिपटा	1.4.2013 से 31.5.2014
2	श्री रणवीर धीरटा	1.6.2014 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत देवरी खनेटी के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	9	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो का उपयोग न किया जाना	9.93
2	13	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय करना	5.44
3	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	6.00
4	15	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	8.34
5	16	अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही भुगतान करना	1.66
6	17	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	1.00

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत देवरी खनेटी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2017 से 21.02.2017 के दौरान ग्राम पंचायत देवरी खनेटी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	10/2013	10/2013
2014-15	01/2015	04/2014
2015-16	07/2015	04/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत देवरी खनेटी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 362/2017 दिनांक 20.02.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, देवरी खनेटी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत देवरी खनेटी द्धारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA और Own Sources/Grant in aid की आय/व्यय को अलग-अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत देवरी खनेटी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में क्रमशः ₹295702.00 एवं मानरेगा खाते में ₹416 का अन्तर था। जिसका विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 360 & 361/2017 दिनांक 20.02.2017 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि

04/2013 से 03/2016 के दौरान बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹4307.00 को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्धारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹4307/- को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता **"क"** में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2013-14	MG Nerga	2268.00
2014-15	MG Nerga	1443.00
2015-16	MG Nerga	596.00
	Total	**4307.00**

7 ₹2.54 लाख की प्राप्त आय का विवरण रोकड़ बही मे दर्ज न किया जाना

रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि ₹254246/- प्राप्त आय जिसका विवरण **परिशिष्ट-3** पर संलग्न है का विवरण रोकड़ बही मे दर्ज नही किया गया था। जबकि नियमानुसार रोकड़ बही मे प्राप्त आय का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना आपेक्षित है। विवरण दर्ज न किए जाने से प्राप्त आय की पूर्ण पड़ताल नही की सकी। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान मे इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले मे नियमानुसार पड़ताल करके उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

9. अनुदान की ₹9.93 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्धारा अनुदानों और स्व: स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹993300/- उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

10 ₹1.68 लाख के प्राप्त अनुदान को उपयोग किए बिना वापिस किया जाना

रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि ₹1.68 लाख के प्राप्त अनुदानों को उपयोग किए बिना ही वापिस किया गया था ऐसे सभी अनुदानों का विवरण **परिशिष्ट-5** पर दिया गया हैं। प्राप्त अनुदान को उपयोग किए बिना ही वापिस किया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान मे इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले मे नियमानुसार पड़ताल करके इस बारे में उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

11 ₹0.31 लाख को प्राप्त अनुदान से अधिक खर्च किया जाना

खाताबही की पड़ताल पर पाया गया कि ₹30671 को प्राप्त अनुदान की राशि से अधिक खर्च किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट-6** पर दिया गया हैं। नियमानुसार जिस कार्य के लिए जितना अनुदान प्राप्त हुआ था उस कार्य के निष्पादन हेतु उतनी ही राशि खर्च की जानी आपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त इन सभी अनुदानों में पंचायत निधि व्यय किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही ₹30671 के खर्च हेतु न तो उच्च अधिकारियों से अनुमति ली गई न ही पंचायत द्वारा इस बारे में कोई प्रस्ताव पारित किया गया। अत: ₹30671/- को प्राप्त अनुदान की राशि से अधिक खर्च किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इस अधिक व्यय की गई राशि को नियमानुसार नियमित करवाए जाने हेतु उच्च अधिकारियों से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

12 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Mustroll भुगतान हेतु ₹11.72 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण संभावित दुर्विनियोजन

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000/- से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1172579 के व्यय वाऊचरों/Mustroll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके नकद रोकड़ में किया गया था। इसके अतिरिक्त भुगतान प्राप्त कर्ता से भुगतान प्राप्ति रसीद भी अभिलेखों

में उपलब्ध नहीं थी। ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-7** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु भुगतान नकद रोकड़ में किए जाने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके नकद रोकड़ में किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹5.44 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा **परिशिष्ट-8** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹544525 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.00 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-9** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹600171 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना अर्थात बिना निविदाएँ आमंत्रित किए ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 क्रय किए गए ₹8.34 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹834168 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट-10** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.66 लाख का भुगतान करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹166000/- भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि भुगतान जिनका विवरण **परिशिष्ट-11** में दिया गया हैं, को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 अस्थाई अग्रिमों ₹1.00 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन **परिशिष्ट-12** में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹100000/- के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थे। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त अग्रिमों की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि अग्रिम राशि को देरी से समायोजित किया जा रहा था। देरी से अग्रिमों को समायोजित किए जाने के कारण न केवल ब्याज की हानि हो रही थी अपितु इससे अग्रिम प्रदान की गई राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: यह मामला विशेष ध्यान एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जाता हैं। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. मानदेय के रूप में ₹875/- का अधिक भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹875/- का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया हैं)। अत: बिना सभा के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid	Remarks
Sh.Roop Lal	06.04.2013	175.00	Meeting not held as per Minutes Register.
Sh.Krishan Lal	06.04.2013	175.00	Meeting not held as per Minutes Register.
Smt. Sandhya	06.04.2013	175.00	Meeting not held as per Minutes Register.
Smt.Babli Sharma	06.04.2013	175.00	Meeting not held as per Minutes Register.
Sumitra	06.04.2013	175.00	Meeting not held as per Minutes Register.
	Total	**875.00**	

19 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
9	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

20 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

ग्राम पंचायत देवरी खनेटी द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत देवरी खनेटी द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत:93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत देवरी खनेटी द्धारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

22. **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

23. **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 59/2017–खण्ड–1–3299–3302 दिनाँक 14.06. 2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत देवरी खनेटी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बलत कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881